मध्यप्रदेश शासन

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक / 430 / 2010 / 61 / लो.से.प्र. भोपाल,दिनांक 7–10–2010

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः–मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत विधानसभा प्रश्नों के संबंध में।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा सत्र के दौरान अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है तथा जो प्रश्न सीधे किसी एक विभाग से संबंधित न होकर जिलों से संबंधित है,उन प्रश्नों के उत्तर जिला कलेक्टरों से ही प्राप्त करने होंगे। ऐसी स्थिति में कलेक्टर कार्यालय को 9 विभागों की 26 सेवाओं की जानकारी विधानसभा प्रश्न का उत्तर तैयार करने के लिये एकत्रित करनी पड़ सकती है।

2. लोक सेवा प्रबंधन विभाग को जिला कलेक्टरों से विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समय पर प्राप्त हो,जिससे विधानसभा सचिवालय को निर्धारित अवधि में उत्तर चले जाए,इसलिए इस संबंध में आपके स्तर पर अभी से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। तद्नुसार कार्यवाही के लिये आपसे अनुरोध है।

3. अधिनियम के अन्तर्गत निपटाये गये प्रकरणों (तीनों स्तरों पर-पदाभिहित अधिकारी,प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी) की नियमित जिलेवार मानिटरिंग के लिये अलग से निर्देश प्रसारित किये जायेंगे।

(प्रभाकर बंसोड़)
प्रमुख सचिव
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

पृ0क्र. भोपाल,दिनांक
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव,मध्य प्रदेश शासन,सामाजिक न्याय विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल।
2. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपाभोक्ता संरक्षण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,
3. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन,श्रम विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल।
4. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन,आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,,वल्लभ भवन,भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन,भोपाल।
7. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन,राजस्व विभाग विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल।
8. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल
9. सचिव,मध्य प्रदेश शासन,ऊर्जा विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोकसेवा प्रबंधन विभाग